भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2100**
**02 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न**
**तमिलनाडु को लंबित राशि**

**2100. श्री पी. वेलुसामी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत धान की खरीद के लिए 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु को कुल कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की जानी है;
(ख) आज की तिथि तक लंबित राशि का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु के लिए इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा;
(ग) धनराशि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए निपटान नहीं की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को लंबित राशि में विलंब के कारण धान की खरीद में कोई विलंब होता है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

**(क) और (ख):** तमिलनाडु ने विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति को अपनाया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा खरीद प्रचालन किए जाते हैं। कमी वाला डीसीपी राज्य होने के कारण, राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों के स्टॉक का उपभोग राज्य में ही किया जाता है।

.....2/-

भारत सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर की गई केन्द्रीय योजनाओं के लिए खाद्यान्नों के वितरण हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वित्त वर्ष | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 2018-19 | 1136.61 |
| 2019-20 | 3242.79 |
| 2020-21 | 3109.76 |
| 2021-22 | 6250.93 |
| 2022-23 | 8685.95 |

**(ग):** अन्य बातों के साथ-साथ, स्टॉक के अथ शेष और अंत शेष, खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम के समाधान, प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, प्रचलित दिशानिर्देशों आदि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के दावों को संसाधित किया जाता है। यह एक निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा तिमाही आधार पर राज्यों को खाद्य सब्सिडी की स्वीकृत राशि निरंतर जारी की जाती है।

**(घ) और (ड.):** राज्य सरकार द्वारा धान के लिए खरीद प्रचालन किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर की गई केन्द्रीय योजनाओं के लिए खाद्यान्नों के वितरण हेतु राज्य को खाद्य सब्सिडी की स्वीकृत राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

******